गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) (क) तथ (ख) : उन मीसा बंदियों को, जिनके परिवार के सदस्यों की मृत्यु तब हो गई थी जब वे आपात स्थिति के दौरान जेलों में बंद थे, मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

किन्तु सरकार ने आंतरिक आपात स्थिति के दौरान मीसा के अधीन पकड़े गये उन बंदियों के आश्रितों को, जो हिरासत में अथवा हिरासत से छोड़े जाने के तीन महीने के अ दर मर गये थे, पात्र मामलों में, मासिक पेंशन देने की एक योजना को अंतिम रूप दिया है :

भागलपुर आकाशवाणी केन्द्र

384. डा० रामजी सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना के बाद जिन केन्द्रों को स्थापित किया गया है उनका अधिक विकास किया गया है लेकिन भागलपुर आकाशवाणी केन्द्र का विकास रुका हुआ है ;

(ख) भागलपुर आकाशवाणी केन्द्र को एक स्वतन्त्र केन्द्र के रूप में कब तक परिवर्तित किया जायेगा ;

(ग) क्या सरकार को भागलपुर आकाशवाणी केन्द्र के मंत्रणा बोर्ड के विरुद्ध कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त बोर्ड का पुनर्गठन करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) : आकाशवाणी का भागलपुर केन्द्र पटना केन्द्र का सहायक केन्द्र है। भागलपुर केन्द्र के चालू होने के बाद स्थापित किसी भी सहायक केन्द्र का दर्जा बढ़ा कर उसको पूर्ण रूपेण रेडियो स्टेशन नहीं बनाया गया है।

(ख) : इसके लिये पांचवीं योजना में कोई प्रावधान नहीं है। भावी योजनाओं में इसका समावेश संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

(ग) : जी, नहीं। भागलपुर केन्द्र के लिये कोई मंत्रणा बोर्ड नहीं है।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में छुरेबाजी की घटनायें

385. श्री कल्याण जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष मई के प्रथम सप्ताह में पुरानी दिल्ली में हुई छुरेबाजी की घटनाओं का ब्यौरा क्या है।

(ख) राजधानी के इस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) अराजकता और उपद्रव पैदा करने वाले तत्वों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार संबधित अवधि के दौरान पुरानी दिल्ली में छुरा मारने के 10 मामले हुए। इन मामलों के बारे में सक्षिप्त तथ्यों का एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) : इस क्षेत्र में विधि तथा व्यवस्था में सुधार करने के लिये अनेक उपाय किये गये हैं। इनमें अन्य बातों के साथ शहर में पुलिस गश्त तेज करना, महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस टुकडियां तैनात करना, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन निरोधक कार्रवाई करना, सादे कपड़ों में पुलिस तैनात करना और जनता का सहयोग प्राप्त करना शामिल हैं। शहर में गश्त लगाने में पुलिस की सहायता के लिये होम गार्डों को भी तैनात किया जा रहा है।